जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 28.06.2025**

थाना नजीबाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 222/25 धारा 324(4),351(2),352,308(2) बीएनएस के सम्बंध में पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के सम्बंध में।

विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 27.06.2025 कॉलर श्री नवनीत वर्मा पुत्र संजीव वर्मा निवासी कैनाल कॉलोनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा समय 17:09 बजे डायल – 112 पर सूचना दी गयी कि एक व्यक्ति शराब पीकर गाली - गलौच कर रहा है और उसकी दुकान का शीशा तोड़ दिया है। सूचना पर पीआरवी – 4332 टूव्हीलर मौके पर पहुंची तो बिटटू पुत्र बलीराम निवासी ग्राम बिजौरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर नशे की हालत में मौजूद मिला, जिसे पीआरवी कर्मचारीगण द्वारा अधिक नशे में होने के कारण समझा-बुझाकर घर भेज दिया गया था।

पुनः श्री नवनीत वर्मा उपरोक्त द्वारा समय 18:18 बजे डायल – 112 पर सूचना दी गयी कि बिटटू उपरोक्त शराब के नशे में गाली – गलौच कर रहा है, दुकान का शीशा तोड़ दिया है, पैसो की मांग कर रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है तथा चोरी करवाने की धमकी दे रहा है। मौके पर पीआरवी – 2439 फोरव्हीलर पहुंची तो बिटटू उपरोक्त मौके पर नही मिला तथा पीआरवी द्वारा कॉलर नवनीत को थाने पर तहरीर देकर कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया।

दिनांक 28.07.2025 को वादी श्री नवनीत शर्मा उपरोक्त की लिखित तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 222/25 धारा 324(4),351(2),352,308(2) बनाम बिटटू पुत्र बलीशरण निवासी ग्राम बिजौरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर पंजीकृत किया गया है।

वादी द्वारा उपलब्ध करायी गयी वीडियो में बिटटू के अत्यधिक नशे में होने एवं दुकान पर गाली गलौच करना स्पष्ट है। बिटटू उपरोक्त नशा करने का आदी है तथा इसके विरुद्ध पूर्व में भी वादिया श्रीमती राखी पत्नी मिथुन निवासी बिजौरी थाना नजीबाबाद द्वारा मु0अ0सं0 284/2023 धारा 323,504,506 भादवि पंजीकृत कराया था।

जांच से बिटटू के अत्यधिक नशे की हालत में होने तथा स्वयं गिरकर सामान्य चोट लगने की पुष्टि हुई है। किसी भी पुलिस कर्मी द्वारा बिटटू के साथ मारपीट करने की पुष्टि नही हुई है। बिटटू द्वारा लगाये गये आरोप असत्य / निराधार है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 28.06.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 559/25 धारा 305(ए)/331(2) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.06.2025 को वादी ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अंकित पुत्र भारत सिंह निवासी ग्राम लक्खीवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा रात्रि के समय वादी की पत्नी के कानो से सोने के कुन्डल चोरी कर लिये गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 559/25 धारा 331(2)/305(ए) बीएनएस बनाम अंकित उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 28.06.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त अंकित पुत्र भारत सिंह निवासी ग्राम लक्खीवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को पीली धातु के कानो के 02 कुन्डल सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अंकित पुत्र भारत सिंह निवासी ग्राम लक्खीवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

पीली धातु के कानो के 02 कुन्डल

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकित-

मु0अ0सं0 559/25 धारा 331(2)/305(ए)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 संजय त्यागी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी राजेश प्रताप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी सुनील थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

4.आरक्षी संदीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हल्दौर **दिनांक – 28.06.2025**

आबकारी विभाग एवं थाना हल्दौर पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तों को करीब 135 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, 25 लीटर एल्कोहल व भारी मात्रा में विभिन्न ब्राण्ड की नकली शराब, खाली बोतल / ढक्कन / रेपर, अवैध शराब बिक्री से प्राप्त कुल ₹1,17,180 /- एवं घटना में प्रयुक्त कार सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 28.06.2025 को आबकारी विभाग व थाना हल्दौर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कस्बा झालू में संचालित कम्पोजिट शराब की दुकान के सेल्समेन उपेन्द्र सिंह पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम गंगोडा जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर व विपिन पुत्र रमेश निवासी ग्राम खिरनी थाना मंडावर जनपद बिजनौर के कब्जे से दुकान के अन्दर से रॉयल स्टेग ब्रान्ड विदेशी मदिरा के 25 पव्वे (धारित180 ML), इम्पीरियल बल्यू ब्रान्ड विदेशी मदिरा के 5 हाफ (धारित 375 ML) जो अपमिश्रित प्रतीत हो रहे थे। इन पर लगे क्यू आर कोड को स्कैन करने पर स्कैन नहीं हुए, जबकि शराब के पव्वों व हाफ के लेबलों पर फॉर सेल इन उत्तर प्रदेश लिखा है।

दोनो व्यक्तियों से सख्ती से संदिग्ध शराब के पव्वों व हाफ के बारे में पूछा गया तो दोनो ने बताया कि पव्वे व हाफ मिलावटी शराब के हैं और इन पर लगा क्यू आर कोड भी नकली है। दुकान से 52,030 / - रूपये बरामद हुए जो अवैध शराब विक्रय के है। विस्तृत पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे अंग्रेजी शराब की दुकान के लाईसेंस धारक मूलचन्द पुत्र हरवंश सिंह निवासी ग्राम शहजादपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर के पुत्र अरविंद व विनय कुमार पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम शहजादपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर व अंकित पुत्र जयसिंह निवासी ग्राम खिरनी थाना मंडावर जनपद बिजनौर के साथ मिलकर अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से मिलावटी नकली शराब बनाकर दुकान पर लाकर बेचते है। उन्होने दलपत सिंह पुत्र घसीटा सिंह निवासी मौ0 अमरूवाला मर्दगान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर का मकान किराये पर ले रखा है जहां पर और भी मिलावटी शराब रखी हुई है। इसके बाद दोनो सेल्समैन की निशादेही पर दलपत सिंह के मकान से 04 जरी केन से करीब 115 लीटर अवैध अपमिश्रित, 8 PM टेटरा पेक के 87 पव्वे (धारित 180 ML फारसेल यूपी) व रोमन व वोडका के 47 पव्वे टेटरा पेक (धारित 180 ML फार सेल इन यूपी), रॉयल स्टेग बांड विदेशी मदिरा की 03 बोतल धारित 750 ML फोरसेल इन हरियाणा) रायल स्टेग ब्रांड विदेशी मदिरा के 24 पव्वे (धारित 180 ML फोरसेल इन यू पी), इम्पीरियल बल्यू के 05 हाफ (धारित 375 ML फॉर सेल इन यू पी), रॉयल स्टेग ब्रांड विदेशी मदिरा की 11 खाली बोतल (धारित 750 MLफोर सेल इन हरियाणा), एक बोतल खाली (धारित 02 लीटर फार सेल इन हरियाणा), रॉयल स्टेग ब्रांड विदेशी मदिरा के 43 पव्वे खाली (धारित 180ML फार सेल इन यू पी), रॉयल स्टेग ब्रांड विदेशी मदिरा के 59 नकली

ढक्कन, इम्पीरियल बल्यू के 09 नकली ढक्कन, नकली क्यू आर कोड 33, एक प्लास्टिक के कट्टे में हरियाणा व उत्तर प्रदेश मार्का की टूटी हुई बोतले, 2 बडी निडिल व 60 ML की 2 सिरिंज व एक कीप बरामद कराया गया। पकडे गये दोनो व्यक्तियो ने बताया कि उनके साथी अंकित, विनय व अरविन्द उपरोक्त तीनो लोग मिलकर ग्राम शहजादनगर थाना मंडावर जनपद बिजनौर में अवैध नकली व मिलावटी शराब बनाकर बेचते है। दोनो अभियुक्तों की निशादेही पर शराब ठेके के लाईसेंसदार मूलचन्द उपरोक्त के मकान में अरविंद उपरोक्त के कब्जे से अवैध अपमिश्रित शराब की बिक्री के 65,150 /- रूपये बरामद हुए। अरविन्द, अंकित व विनय उपरोक्त के कब्जे से एक ऑटो प्रफेक्ट हीट सीलक मशीन, एक एयर कम्प्रेशर मशीन, एक एल्कोहल मीटर (एम) जार सहित, एक प्लास्टिक की जरी केन में लगभग 45 लीटर एलकोहल, इम्पीरियल बल्यू (धारित 180 ML) के 10 पव्वे (फॉर सेल इन यू पी), 03 पव्वे (रायल स्टैग धारिता 180 एमएल) फॉर सेल इन यूपी, 999 पावर स्टार फाइन विस्की बोतल (03 भरी व 02 खाली फार सैल इन चण्डीगढ), 02 बोतल विस्की फ्लेवर, एक बोतल करोमल कलर, नकली क्यू आर कोड़ के दो बण्डल लगभग 30 हजार, इम्पीरियल बल्यू के 1100 खाली ढक्कन व इम्पीरियल ब्लू के 186 पव्वे खाली, रॉयल स्टेग के 60 खाली हाफ, 8 पीएम के खाली 180 एमएल के पाउच 560 आदि एवं परिसर में खडी मारूति कार स्विफ्ट रजि0 न0 यूपी 20 सीके 0713 जिसकी डिग्गी में इम्पीरियल ब्लू ब्राण्ड विदेशी मदिरा के 24 हाफ रखे बरामद हुए।

पांचों अभियुक्तगण ने बताया कि मूलचन्द उपरोक्त का कस्बा झालू में शराब का ठेका है। जिस पर उपेन्द्र व विपिन कुमार उपरोक्त सैल्समैन है। सभी लोग अधिक लाभ कमाने के लिये नकली शराब तैयार कर असली के रूप में बनाने के लिये नकली ढक्कन क्यूआर कोड आदि समान बनवाकर लोगो को धोखा देकर नकली शराब को असली के रूप में शराब के ठेके पर बेच देते है तथा यह कार शराब व समान को लेने व ले जाने का काम करते है। इस सम्बंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 172/2025 धारा 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम व 274/318(2)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.उपेन्द्र सिंह पुत्र धीर सिह निवासी ग्राम गंगोडा जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

2.विपिन कुमार पुत्र रमेश निवासी ग्राम खिरनी थाना मंडावर जनपद बिजनौर

3.अरविन्द कुमार पुत्र मूलचन्द निवासी ग्राम शहजादपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर

4.अंकित पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम खिरनी थाना मंडावर जनपद बिजनौर

5.विनय कुमार पुत्र पुरन सिंह निवासी ग्राम शहजादपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

रायल स्टेज ब्रान्ड विदेशी मदिरा के 25 पव्वे (धारित180 ML)

इम्पीरियल बल्यू ब्रान्ड विदेशी मदिरा के 5 हॉफ (धारित 375 ML)

अवैध शराब की बिक्री के बरामद 1,17,180/- रूपये

05 जरी केन से करीब 135 लीटर अवैध अपमिश्रित

8 PM टेटरा पेक के 87 पव्वे(धारित 180 ML फारसेल यू पी)

रोमन व वोडका के 47 पव्वे टेटरा पेक (धारित 180 ML फार सेल इन यू पी), रायल स्टेग ब्रांड विदेशी मदिरा की 03 बोतल धारित 750 ML फोरसेल इन हरियाणा), रायल स्टेग ब्रांड विदेशी मदिरा के 24 पव्वे(धारित 180 ML फोरसेल इन यू पी)

इम्पीरियल बल्यू के 05 हाफ (धारित 375 ML फार सेल इन यू पी), रायल स्टेग ब्रांड विदेशी मदिरा की 11 खाली बोतल (धारित 750 MLफोर सेल इन हरियाणा), एक बोतल खाली (धारित 02 लीटर फार सेल इन हरियाणा), रॉयल स्टेग ब्रांड विदेशी मदिरा के 43 पव्वे खाली(धारित 180ML फार सेल इन यू पी), रायल स्टेग ब्रांड विदेशी मदिरा के 59 नकली ढक्कन इम्पीरियल बल्यू के 09 नकली ढक्कन, नकली क्यू आर कोड 33, एक प्लास्टिक के कट्टे में हरियाणा व उत्तर प्रदेश मार्का की टुटी हुई बोतले, 02 बडी निडिल व 60 ML की 2 सिरिंज व एक कीप, एक ऑटो प्रफेक्ट हीट सीलक मशीन, एक अदद एयर कम्प्रेशर मशीन, एक अदद एल्कोहल मीटर (एम) जार सहित, एक प्लास्टिक का जरे कैन में लगभग 45 लीटर एल्कोहल, इम्पीरियल बल्यू (धारित 180 ML) के 10 पव्वे (फार सेल इन यू पी), एक अदद मारूति स्विफ्ट कार रजि0 न0 UP20 CK 0713, रॉयल स्टेग धारित 180 एमएल 03 पव्वे फार सैल इन यूपी, पावर स्टार फाइन विस्की 03 भरी व 02 खाली बोतल फार सेल इन चण्डीगढ, 02 बोतल विस्की फ्लेवर, 01 बोतल करोमल कलर, 10 पेकेट एलफी, 30 हजार नकली क्यूआर कोड इम्पीरियल ब्लू के खाली 1100 ढक्कन, इम्पीरियल ब्लू के खाली 186 पव्वे, इम्पीरियल ब्लू के खाली 36 हाफ, रॉयल स्टेग के खाली 38 पव्वे, रॉयल स्टेग के खाली 60 हाफ, 8 पीएम के खाली 560 पाउच (180 एमएल), 03 प्लास्टिक की बाल्टी व एक छलनी, इम्पीरियल ब्लू ब्राण्ड विदेशी मदिरा के 24 हाफ

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1. आबकारी निरीक्षक श्री हरिनारायण यादव जनपद बिजनौर
2. आबकारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार सोती जनपद बिजनौर
3. आबकारी निरीक्षक श्री कुशमाकर धर जनपद बिजनौर
4. आबकारी निरीक्षक श्री त्रिवेणी प्रसाद मौर्य जनपद बिजनौर
5. प्रधान आबकारी सिपाही संजीव कुमार जनपद बिजनौर
6. आबकारी सिपाही मौहम्मद मुजम्मिल जनपद बिजनौर
7. आबकारी सिपाही रोहित कुमार जनपद बिजनौर
8. आबकारी सिपाही राजेश चन्द्र जनपद बिजनौर
9. आबकारी सिपाही विपिन कुमार जनपद बिजनौर
10. श्री राजेश कुमार बैसला प्रभारी निरीक्षक थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
11. उ0नि0 कुलदीप सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
12. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
13. उ0नि0 श्री आदेश कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
14. हे0कां0 674 अकरम थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
15. हे0कां0 644 हिमांशु शर्मा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
16. कां0 509 टिंकू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
17. कां0 1181 हरेन्द्र कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नांगल दिनांक 28.06.2025

थाना नांगल पुलिस ने मु0अ0सं0 94/25 धारा 137(2) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.06.2025 को वादी ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि अभियुक्त रणजीत पुत्र अनूप निवासी महावतपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 94/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। थाना नांगल पुलिस द्वारा वादी की पुत्री को दिनांक 27.06.2025 को बरामद किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 28.06.2025 को थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त रणजीत पुत्र अनूप निवासी महावतपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रणजीत पुत्र अनूप निवासी महावतपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 सुनील कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी संजीव थाना नांगल जनपद बिजनौर।